

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

Supreme Court of India की सख्त टिप्पणी : पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शनों को लेकर Mamata Banerjee सरकार पर सवाल

Sanket Morankar

Published on 02 Apr 2026



पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शनों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में ढिलाई या राजनीतिक हस्तक्षेप गंभीर चिंता का विषय है।

यह मामला उस समय सामने आया जब पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इन घटनाओं के संदर्भ में अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन को निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने कहा कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के मामलों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

एक अन्य मामले में भी अदालत ने यह कहा था कि कई मुद्दे प्रशासनिक स्तर पर हल किए जाने चाहिए और इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।

अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से Mamata Banerjee सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि राज्य में बार-बार तनाव की स्थिति बन रही है, तो यह प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है।

इससे पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों को राजनीतिक कारणों से रोका नहीं जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। कई मामलों में ये प्रदर्शन हिंसक भी हुए,

जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। ऐसे मामलों में अदालत ने बार-बार यह दोहराया है कि राज्य सरकार को सख्ती से कानून लागू करना चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका की यह सख्ती राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार Mamata Banerjee सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बता रहा है।

हालांकि, अदालत की टिप्पणी ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है और अब इस मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

Supreme Court of India की यह टिप्पणी साफ संकेत देती है कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राज्य सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि Mamata Banerjee सरकार इस टिप्पणी के बाद क्या कदम उठाती है और क्या इससे राज्य की स्थिति में सुधार आता है या नहीं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.